भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 761

जिसका उत्तर गुरुवार, 05 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त वकीलों का कार्यनिष्पादन

761 डा. अजित माधवराव गोपछड़े :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जिला, राज्य और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा परिनियोजित वकीलों द्वारा निस्तारित किए गए मामलों का परिणाम-आधारित मूल्यांकन करती है और क्या इसमें जीते, हारे या वापस लिए गए मामलों के आंकड़े भी शामिल होते हैं ;

(ख) क्या ऐसे वकीलों द्वारा प्रस्तुत दलीलों, तर्कों और न्यायालय में प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता का स्वतंत्र रूप से संपरीक्षा या यादृच्छिक पर्यवेक्षण के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है ;

(ग) क्या विधिक सेवा प्राधिकरण के वकील निजी वकीलों के समान ही लाभार्थियों की ओर से तत्काल सुनवाई, अंतरिम राहत या स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करते हैं ;

(घ) जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रभावी/गुणवत्तापूर्ण विधिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) क्या लगातार खराब कार्यनिष्पादन वाले विधिक सहायता प्रदाता वकीलों को हटाने के लिए कोई पारदर्शी तंत्र मौजूद है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010, सभी विधिक सेवा संस्थाओं जैसे उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी), उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियां (एचसीएलएससी), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और तालुक विधिक सेवा समितियां (टीएलएससी) के

भीतर मानीटरी और परामर्श समितियों (एमएमसी) के गठन के माध्यम से विधिक सहायता सेवाओं की गुणवत्ता और प्रगति की मानीटरी और मूल्यांकन के लिए मजबूत ढांचा प्रदान करता है । । पूर्वोक्त विनियमों का विनियम 8 पैनल वकीलों के रूप में विधिक व्यवसायियों के चयन के लिए उपबंध करता है। विनियम 8 (17) के अनुसार, "यदि पैनल का वकील समाधानप्रद रुप से प्रदर्शन नहीं कर रहा है या उसने एलएसए अधिनियम और इन विनियमों के उद्देश्य और भाव के प्रतिकूल कृत्य किया है, तो विधिक सेवा संस्था ऐसे वकील से मामले को वापस लेने और पैनल से उसे हटाने सहित उचित उपाय करेगा" । विनियम 10(1) में न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं की गहन मानीटरी और विधिक सहायता प्राप्त विषयों में मामलों की प्रगति के लिए मानीटरी और परामर्श समितियों की स्थापना करने और पैनल के वकीलों को मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए उपबंध है। विनियम 11(5) और विनियम 11(8) के अनुसार, एमएमसी प्रत्येक मामले की दिन-प्रतिदिन की प्रगति और उन मामलों के संबंध में अंतिम परिणाम (सफलता या असफलता) की मानीटरी के लिए विधिक सहायता मामलों के लिए रजिस्टर बनाए रखेंगे जिनके लिए विधिक सहायता अनुज्ञात की जाती है। इस रजिस्टर की जांच यथास्थिति, सदस्य सचिव या सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक मास की जाती है, और यदि मामले की प्रगति समाधानप्रद नहीं है, तो समिति विधिक सेवा संस्था को उचित उपाय करने की सलाह दे सकती है।

यह निरंतर अनुवर्ती तंत्र विधिक सेवाओं के वितरण में जवाबदेही, पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

(**ग**) **:** विधिक सहायता के वकील**,** किसी भी अन्य अधिवक्ता की तरह**,** न्याय के हित में तत्काल राहत और प्रक्रियात्मक निदेश प्राप्त करने के लिए पूर्ण रुप से सशक्त है**,** और न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर केवल गुणागुण के आधार पर ऐसे अनुरोधों पर विचार करते हैं। इसके अतिरिक्त**,** न्यायिक अधिकारी और न्यायालय के कर्मचारी भी विधिक सेवा संस्थाओं के दृष्टिकोण और जनादेश से अवगत हैं**,** जिसके अंतर्गत सभी के लिए न्याय तक समान और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने का महत्व भी है।

(**घ**) **:** संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरणों के तत्वाधान में पैनल वकीलों और विधिक सहायता प्रतिरक्षा काउंसेल **(**एलएडीसी**)** के कौशल में वृद्धि करने के लिए उनके लिए नियमित प्रशिक्षण/अभिविन्यास और विषय विशिष्ट क्षमता निर्माण पहल की जा रही है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम पैनल वकीलों और एलएडीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं को व्यावसायिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही यह उन्हें फायदाग्राहियों के लिए विधिक विकास और सुसंगत कल्याणकारी स्कीमों के बारे में अद्यतन रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि पैनल के वकील और प्रतिवाद काउंसेल के वकील न केवल विधि को समझते हैं, किंतु सभी के लिए, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व के सांविधानिक अधिकार को बनाए रखने के लिए अनुकंपा, कुशल और तैयार भी हैं।

(ङ) **:** नालसा (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के अधीन गठित एमएमसी विधिक सहायता सेवाओं की मानीटरी, मूल्यांकन और गुणवत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन एमएमसी को न्यायालय-आधारित विधिक सेवाओं और विधिक सहायता प्राप्त विषयों में मामलों की प्रगति की निकटत: से मानीटरी करने और पैनल वकीलों को मार्गदर्शन और सलाह देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, एमएमसी पैनल वकीलों से आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करके और उनके निष्पादन का निर्धारण करके मामले की प्रगति को भी मानीटर करते हैं। यदि मामले की प्रगति असमाधानप्रद पाई जाती है, तो समिति संबंधित विधिक सेवा संस्था को उचित उपाय करने की सलाह देती है। पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 8(17) के अनुसार, यदि नियुक्त पैनल वकील समाधानप्रद रुप से कार्य नहीं कर रहा है, तो विधिक सेवा संस्था ऐसे वकील से मामले को वापस लेने और उसे पैनल से हटाने सहित उचित उपाय करेगा ।

*****